संख्याः 1639/9–आ–1–95–80 मिस/86

प्रेषक,

श्री प्रभास कुमार झा,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. आवास आयुक्त,
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ।
2. उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।
3. अध्यक्ष,
समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

आवास अनुभाग–1 लखनऊः दिनांक 10 मई, 1995

विषयः उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद तथा विकास प्राधिकरण की योजनाओं में लीज पर आवंटित भूखण्डों/ भवनों का फ्री–होल्ड परिवर्तन।

महोदय,

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद तथा प्रदेश में स्थित विकास प्राधिकरणों द्वारा संचालित योजनाओं में सम्प्रति भूखण्डों/ भवनों से सम्बद्ध भूमि को लीज पर आवंटित करने की कार्यवाही की जाती है। विकास प्राधिकरणों के गठन के पूर्व सुधार न्यास (इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट) द्वारा भी आवास निर्मित करके उन्हें लीज (पट्टे) पर उठाया जाता रहा है। प्राधिकरणों का गठन होन पर सुधार न्याय समस्त परिसम्पत्तियों सहित विकास प्राधिकरणों में संविलीय कर दिये गये। विकास प्राधिकरण, सुधार न्यास अथवा उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद द्वारा जो भूमि/भवन लीज पर आवंटित किये गये हैं उनमें लीज की अन्य शर्तों एवं प्रतिबन्धों के साथ 30–30 वर्ष के दो मध्यवर्ती नवीनीकरण सहित सामान्यतया 10 वर्ष के लीज दिये जाने का प्राविधान रहा है। लीज पर भूमि आवंटन की व्यवस्था में आवंटी को लीज रेन्ट जमा करने, लीज नवीनीकरण कराने, सम्पत्ति के विक्रय या हस्तान्तरण पर सम्बन्धित अभिकरण से पूर्वानुमति करने आदि की समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि भूमि/भवन को फ्री–होल्ड किये जाने के सम्बन्ध में निम्नानुसार व्यवस्था/कार्यवाही की जायेगी।

(1) विकास प्राधिकरणों/उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद नये आवंटियों को भूखण्ड अनिवार्य रूप से सीधे फ्री–होल्ड के रूप में उपलब्ध कराया जायेगा और भूमि के मूल्य की 12 प्रतिशत धनराशि फ्री–होल्ड शुल्क के रूप में ली जायेगी। यह धनराशि भूमि के मूल्यांकन में सन्निहित रहेगी।

(2) जिन आवंटियों को पूर्व में लीज पर भूखंण्ड आवंटित किये जा चुके हैं उनसे भूमि के रजिस्ट्रेशन शुल्क का 02 प्रतिशत शुल्क लेकर भूमि फ्री–होल्ड कर दी जायेगी। परन्तु यह सुविधा उन्हें ही अनुमन्य होगी जिन्होंने सम्पूर्ण लीज रेंट जमा कर दिया है और फ्री–होल्ड करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करेंगे। लीज रेंट जमा करने के सम्बन्ध में शासनादेश दिनांक 23.10.86 के प्रस्तर–1 की व्यवस्था के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(3) महायोजना में लागू भू–उपयोग के विपरीत कार्य करने वाले को यह सुविधा अनुमन्य नहीं होगी।

3. उपरोक्त शासनादेश तात्कालिक प्रभाव से लागू किया जाता है, कृपया उक्त का व्यापक प्रचार करते हुए प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,
प्रभास कुमार झा,
विशेष सचिव

संख्याः 1639(1)/9–आ–1–95, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. समस्त प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. समस्त सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5. शासन के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,
शिशिर कुमार यादव
अनुसचिव